महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–1280 / नौ–7–2020–25(जनरल) / 2011

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक : 23 नवम्बर, 2020**

विषयः उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 की संशोधित व्यवस्था को स्थानीय नागर निकायों में लागू/अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक लोक सेवा प्रबंधन अनुभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–389 / 91–2020, दिनांक 10.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 विषयक अधिसूचना संख्या–2198 / एक–14–2010–33(100)–2010टी0सी III, दिनांक 15.01.2011 के अनुसूची में, क्रम संख्या–67 की प्रविष्टियों के पश्चात् कतिपय प्रविष्टियां और प्रकाशित की गयी। उक्त प्रविष्टियों में नगर विकास विभाग की 03 सेवायें (साइनेज लाइसेन्स, खाद्य व्यापार के लिये राज्य लाइसेन्स हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र) अधिसूचित की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत उक्त अधिसूचित नगर विकास विभाग की सेवाओं को अधिसूचना दिनांक 10.11.2020 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आवेदक को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, उ0प्र0।
2. लोक सेवा प्रबंधन अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

आज्ञा से,
23.11.2020

(कल्याण बनर्जी)
उप सचिव।

so.nagarvikas@gmail.com 2020 copy

Comp.Cell

1280/9-7-20

उत्तर प्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग
संख्या: 309/01–2020,
लखनऊ दिनांक 10 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, समय–समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या–2198/एक–14–2010–33(100)–2010 टी०सी०–III, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं :–

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या–67की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

अनुसूची

क्र० सं०	विभाग का नाम	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय–सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय–सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	फिल्म बन्धु, उत्तर प्रदेश (सूचना विभाग)	1– फिल्म शूटिंग की अनुमति	जिला मजिस्ट्रेट	05 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, फिल्म बन्धु	07 कार्य दिवस	अध्यक्ष, फिल्म बन्धु	10 कार्य दिवस
		2–शूटिंग की अवधि के दौरान फिल्म यूनिट की सुरक्षा	जिला मजिस्ट्रेट	05 कार्यदिवस	सदस्य सचिव, फिल्म बन्धु	07 कार्य दिवस	अध्यक्ष, फिल्म बन्धु	10 कार्य दिवस
		3–शूटिंग की अवधि में फिल्म यूनिट को रियायती दरों पर राजकीय अतिथि गृह/निरीक्षण गृह में ठहरने की व्यवस्था	जिला मजिस्ट्रेट	07 कार्यदिवस	सदस्य सचिव, फिल्म बन्धु	07 कार्य दिवस	अध्यक्ष, फिल्म बन्धु	10 कार्य दिवस
		4–शूटिंग पूर्ण होने के उपरान्त प्रमाण पत्र	जिला मजिस्ट्रेट	05कार्यदिवस	सदस्य सचिव, फिल्म बन्धु	07 कार्य दिवस	अध्यक्ष, फिल्म बन्धु	10 कार्य दिवस
69	नगर विकास विभाग	1–साईनेज लाईसेन्स	नगर निगम क्षेत्र में जोनल अधिकारी	30 कार्य दिवस	नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर नगर आयुक्त	20 कार्य दिवस	नगर आयुक्त	20 कार्य दिवस

			नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	30 कार्य दिवस	उप जिला मजिस्ट्रेट	20 कार्य दिवस	जिला मजिस्ट्रेट	20 कार्य दिवस।
		2– खाद्य व्यापार के लिये राज्य लाइसेंस हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र	नगर निगम क्षेत्र में जोनल अधिकारी/ पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी	30 कार्य दिवस	नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर नगर आयुक्त	20 कार्य दिवस	नगर आयुक्त	20 कार्य दिवस।
			नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	30 कार्य दिवस	उप जिला मजिस्ट्रेट	20 कार्य दिवस	जिला मजिस्ट्रेट	20 कार्य दिवस।
		3–भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र	नगर निगम क्षेत्र में जोनल अधिकारी	30 कार्य दिवस	नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर नगर आयुक्त	20 कार्य दिवस	नगर आयुक्त	20 कार्य दिवस।
			नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	30 कार्य दिवस	उप जिला मजिस्ट्रेट	20 कार्य दिवस	जिला मजिस्ट्रेट	20 कार्य दिवस।
70	गृह विभाग	1–विनिर्माण के लिए किसी समय पर 15 किलोग्राम से अनधिक आतिशबाजी या बारूद या दोनों का विनिर्माण करने के लिए लाइसेंस (लाइसेंस प्रारूप एलई–1)	जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट/ प्राधिकृत अधिकारी (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	30 कार्य दिवस	मण्डलायुक्त / पुलिस उपायुक्त मुख्यालय (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	10 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव/ संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	10 कार्य दिवस।
		2– भण्डारण के लिए (क)–एडिरवर्ट्टस के विनिर्माण के लिए किसी एक समय में 15 किलोग्राम से अनधिक बारूद कब्जे में रखने और किसी एक समय में 200 से अधिक संख्या में एडिरवर्ट्टस का कब्जा रखने के लिए लाइसेंस (लाइसेंस प्रारूप एलई–2) (ख)–कृषि प्रयोजन के या छोटे खदान में प्रयोग के लिए किसी एक समय में	जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट / प्राधिकृत अधिकारी (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	30 कार्य दिवस	मण्डलायुक्त / पुलिस उपायुक्त मुख्यालय (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	10 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव/ संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	10 कार्य दिवस

	मैगजीन में श्रेणी–1 या 2 या 3 के 25 किलोग्राम से अनधिक विस्फोटक और 1500 संख्या में विस्फोटक प्रेरक और 1500 मीटर विस्फोटकारी फ्यूज या सुरक्षा फ्यूज को कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस (लाइसेंस प्रारूप एलई–3)						
	3– बिक्री के लिए (क)– किसी एक समय में 25 किलोग्राम से अनधिक लघु शस्त्र नाइट्रो–कंपाउंड रखने या दुकान से विक्रय करने के लिए लाइसेंस (ख) –किसी एक समय में 100 किलोग्राम से अनधिक वर्ग–7, प्रभाग 2, उप प्रभाग 2 की विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम चीन पटाखे या फुलझड़ियाँ रखने या दुकान से विक्रय करने के लिए लाइसेंस (ग)– किसी एक समय में 2000 से अनधिक वर्ग 6, प्रभाग 1 की आतिशबाजी युक्त विस्फोटक रखने और दुकान से विक्रय करने के लिए लाइसेंस (लाइसेंस प्रारूप एलई–5)	जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट / प्राधिकृत अधिकारी (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	30 कार्य दिवस	मण्डलायुक्त / पुलिस उपायुक्त मुख्यालय (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	10 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव/ संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	10 कार्य दिवस

		4– परिवहन के लिए 25 किलोग्राम से अनधिक वर्ग 2 या वर्ग 3 के विस्फोटक, 200 से अनधिक इलैक्ट्रिक या साधारण विस्फोटक प्रेरक, 100 मीटर से अनधिक विस्फोटककारी फ्यूज और 200 मीटर से अनधिक सुरक्षा फ्यूज रखने और कुंए को तोड़ने में प्रयोग के लिए कम्प्रेशर आधारित मोटर ट्रक या ट्रेक्टर पर परिवहन करने के लिए लाइसेंस (लाइसेंस प्रारूप एलई–4)	जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट / प्राधिकृत अधिकारी (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	30 कार्य दिवस	मण्डलायुक्त / पुलिस उपायुक्त मुख्यालय (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	10 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव/ संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय (कमिश्नरेट अधिकारिता के अन्तर्गत)	10 कार्य दिवस
71	परिवहन विभाग	वाहन का स्वस्थता प्रमाण– पत्र जारी करना	संबंधित जिला का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	07 कार्य दिवस (नियत समय की गणना वाहन के संभागीय निरीक्षक/ केन्द्र पर ले आने की तिथि से)	संबंधित संभाग का संभागीय परिवहन अधिकारी	30 कार्य दिवस	संबंधित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)	30 कार्य दिवस
72	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1–गैर वानिकी भूमि होने का प्रमाण पत्र जारी करने पर निर्णय	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/ मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक	15 कार्य दिवस	मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 लखनऊ	15 कार्य दिवस
		2– वन सीमा से न्यूनतम दूरी संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने पर निर्णय	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी	15 कार्य दिवस	वन संरक्षक/ मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक	15 कार्य दिवस	मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 लखनऊ	15 कार्य दिवस

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।